बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषयः— खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 250/– रूपये प्रति क्वींटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा भुगतान की गयी अवशेष बोनस की राशि 101.21/– करोड़ (एक सौ एक दशमलव एक्कीस करोड़) रूपये को वित्तीय वर्ष 2015–16 में भुगतान करने की स्वीकृति।

1. खरीफ विपणन मौसम 2013–14 के अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति राज्य में दिनांक 15.11.2013 से 05.04.2014 तक प्रभावी था। राज्य सरकार द्वारा धान की अधिप्राप्ति हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम, एवं प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स)/व्यापार मंडल को अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है तथा बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य के लिए नोडल अभिकरण नामित किया गया है। खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में राज्य सरकार द्वारा 30 लाख मे0 टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध निगम द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में कुल 1404837.11 मे0टन धान अधिप्राप्ति किया गया तथा उक्त के विरूद्ध 250/– रू0 प्रति क्वीं0 की दर से राज्य खाद्य निगम द्वारा कुल 351.21 करोड़ (तीन सौ एकावन दशमलव एक्कीस करोड़) रू0 की बोनस मद में भुगतान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा खरीफ विणपन मौसम 2013–14 में निगम द्वारा भुगतान किये गये बोनस की राशि 351.21 करोड़ रू0 के विरूद्ध 250 करोड़ रू0 की राशि उपलब्ध करायी गयी है तथा 101.21 करोड़ की राशि भुगतान हेतु अवशेष है, जिसे वित्तीय वर्ष 2015–16 में भुगतान की आवश्यकता होगी।
2. भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2013–14 के अन्तर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण एवं ग्रेड "ए" के लिए क्रमशः 1310/– एवं 1345/– रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था।
3. खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 250/– रूपये प्रति क्वींटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं0 391 दिनांक 21.01.2014 द्वारा प्राप्त है।
4. खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में धान की अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में 250 करोड़ रू0 बोनस मद में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को भुगतान किया जा चुका है। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा किसानों को बोनस मद में 250 करोड़ रू0 के अतिरिक्त 101.21 करोड़ (एक सौ एक दशमलव एक्कीस करोड़) रूपये अतिरिक्त बोनस में भुगतान की गई है, जिसका भुगतान करना शेष है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार राज्य खाद्य निगम को बोनस मद में अवशेष राशि 101.21 करोड़ (एक सौ एक दशमलव एक्कीस करोड़) रू0 का भुगतान करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

5. यह व्यय आय व्ययक मुख्य शीर्ष 2408 खाद्य भंडागारण एवं भंडागार, उप मुख्य शीर्ष 01–खाद्य, लघु शीर्ष 010 प्रापण तथा पूर्ति के अधीन, उप शीर्ष 0103, मांग सं0–18 विपत्र कोड सं0– पी. 2408011010103, धान / चावल अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम सर्मथन मूल्य के अतिरिक्त किसानो को आर्थिक सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में विकलनीय होगा।
6. बोनस राशि की विमुक्ति के संबंध में वित्त विभाग द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण करने की जबावदेही बिहार राज्य खााद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की होगी एवं बोनस भुगतान का रैंडम जॉच कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की भी जबावदेही उन्हीं की होगी।
7. मंत्रिपरिषद की दिनांक 23.02.2016 में मद सं0 – 29 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
24/2/2016
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 13– 1365 खाद्य, पटना / दिनांक– 24.2.2016
प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0 डी0 संलग्न)। अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

24/2/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 13– 1365 खाद्य, पटना / दिनांक– 24.2.2016
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं सहकारिता विभाग एवं सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 13– 1365 खाद्य, पटना / दिनांक– 24.2.2016
प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 13– 1365 खाद्य, पटना / दिनांक– 24.2.2016
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, वित्त (वाणिज्य–कर) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति में राज्य के किसानों को दिये जानेवाले बोनस की राशि को सभी राज्यकरों एवं लेवी से विमुक्त करने संबंधी अधिसूचना यथाशीघ्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

24/2/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 13– 1365 खाद्य, पटना / दिनांक– 24.2.2016
प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि इस संकल्प में उल्लेखित कार्य योजना पर यथानुरूप कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

24/2/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 13– 1365 खाद्य, पटना / दिनांक– 24.2.2016
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक **दिनांक 23.02.2016 में मद संख्या–29** के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के कार्यान्वयन के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 13– 1365 खाद्य, पटना / दिनांक– 24.2.2016
प्रतिलिपि – सचिव कोषांग / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, बजट एवं लेखा शाखा / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 13– 1365 खाद्य, पटना / दिनांक– 24.2.2016
प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।